दिनांक 20.08.2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

आवासीय परिसर में बिना लाइसेंस के व्यवसायिक उपयोग करने वाले दुकान पर हुई कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज जोन 02 वैशाली नगर के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि के मार्गदर्शन में शांतिनगर, जवाहर नगर, देशी मदिरा दुकान एवं पेट्रोल पंप के समीप क्षेत्र का निरीक्षण किया जहां पर देशी मदिरा दुकान के समीप आहता लगाकर गंदगी फैलाने वाले पर कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित पालीथीन , डिस्पोजल आदि जब्त कर अर्थदण्ड वसूला गया। हेचवे डोर द्वारा आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक उपयोग कर प्रदुषण फैलाने तथा मौके पर व्यवसायिक उपयोग से संबंधित दस्तावेज नहीं पाये जाने के कारण अर्थदण्ड वसूलकर जोनआयुक्त द्वारा समझाईस दी गई कि अपने समस्त दस्तावेज 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अन्यथा व्यवसायिक उपयोग बंद करने कार्यवाही की जावेगी। क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही कर 19500 रुपये अर्थदण्ड वसूला साथ ही दुरषित खाद्य एवं पेय पदार्थ पर कार्यवाही करते हुए जो एक्सपायर डेट के थे विक्रय के लिए रखे गये थे जिसे जब्त किया गया और पंचनामा बनाकर विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गई।

नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने आज जोन 02 वैशाली नगर के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की।

जनसम्पर्क अधिकारी